न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 06 / 2019 (2019 / 00006)

अपीलार्थीगण

धन्नाराम पुत्र स्वर्गीय जसाराम, जाति माली, निवासी – हनुमान चौक, मालियों का बास, ग्राम सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।
2. नेमीचन्द पुत्र सुखाराम, जाति माली, निवासी– ग्राम सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश श्रवणसिंह राठौड तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 16.05.2018 को प्रकरण संख्या 07 / 2018 बअनवान सरकार बनाम धन्नाराम में पारित किया गया।

————

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री महेश महेता (प्रत्यर्थी संख्या 02)।

–: आदेश :– दिनांक :– 08.04.2021

अपीलार्थी ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 16.05.2018 को प्रकरण संख्या 07 / 2018 बअनवान सरकार बनाम धन्नाराम में पारित किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नेमीचन्द ने तहसीलदार जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र इस इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद कुडी भगतासनी में खसरा संख्या 178 / 363 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा खातेदार सजनी बेवा सुराराम, मलाराम, नेमीचन्द, मोहनलाल, राजेन्द्र पुत्रान् सुराराम, जाति माली निवासी सांगरिया का है इस जमीन में आने जाने हेतु खसरा संख्या 176 में से रास्ता निकलता है जो पुराना रास्ता है, दिनांक 08.10.2017 को धन्नाराम ने रास्ता बन्द कर दिया जो तुरन्त प्रभाव से खुलवाया जावें। यह प्रार्थना–पत्र मूल ही दिनांक 09.10.2017 को पटवारी सांगरिया को प्रेषित कर दिया गया। तहसीलदार जोधपुर ने नोटिस क्रमांक 6078 दिनांक 14.11.2017 को अपीलान्ट / अप्रार्थी को प्रेषित किया [illegible] जवाब दिनांक 20.11.2017 को अपीलान्ट द्वारा दे दिया [illegible] ग्राम पंचायत कुडी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रेषित करने को अपीलान्ट को कहा, इसके बावजूद तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 16.05.2018 को फैसल कर दिया, इससे व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश महेता ने वकालतनामा पेश किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी अभिभाषक ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश के पूर्व अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश किया गया तब तहसीलदार कार्यालय से बतलाया कि यह मामला ग्राम पंचायत कुड़ी को निस्तारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। अपीलान्ट ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण प्राप्त होने के सन्दर्भ में सम्पर्क करता रहा फिर एकाएक ही भू–अभिलेख निरीक्षक फतेहसिंह ने अपीलान्ट को फोन करके कहा कि तुम्हारे खिलाफ आदेश हो गया है तो अपीलान्ट ने दिनांक 27.06.2018 को नकल प्राप्त की तो पता चला कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है इससे पूर्व अपीलान्ट को किसी भी सूत्रों से अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो धारा 251 राजस्थन काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, तहसीलदार जोधपुर का दायित्व था कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत को मामला प्रेषित किया जाना था ,ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी द्वारा 45 दिन की अवधि के भीतर इस मामले को निस्तारित किये जाने का प्रावधान था और यह अवधि निकल जाने के उपरान्त ही उपरोक्त प्रकरण को तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कानुनी प्रकिया का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद दोनों पक्षों के खातेदारी को लेकर है। नेमीचन्द के पिता का नाम बिना किसी वैध आदेश के राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 36 के जरिये प्रविष्ठि कर दी थी। जिसको निरस्त करने एवम खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने की अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना की गई है। जो मामला अभी विचाराधीन है। इसलिये कदीमी रास्ता नहीं होते हुए कदीमी रास्ते का मनगढन्त तथ्य अंकित कर तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है और तहसीलदार द्वारा बिना कोई साक्ष्य ग्वाह लिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री महेश महेता ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब मे कथन किया कि अपीलाण्ट के कथनोंनुसार अपीलाण्ट को प्रकरण के निर्णय व प्रकिया की जानकारी थी लेकिन अपीलाण्ट ने जानबुझकर अपील देरीना पेश की है। अपीलाण्ट ने देरीना अपील पेश करने का कारण जो बताया है वे स्वीकार करने योग्य नहीं है अतः अपील म्याद बाहर होने से केवल इसी आधार पर ही खारिज करने योग्य है।

प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस में बतलाया कि अपीलांट ने अपनी अपील में यह वर्णित किया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या–01 के द्वारा उक्त मामला ग्राम पंचायत कुडी को प्रेषित करने का अपीलाण्ट को कहा था लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने उक्त कथन बनावटी कहे है जबकि ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को प्रकरण दर्ज करने से पूर्व व प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के बाद सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद तथा विधिक प्रकिया अपनाने के बाद निर्णय पारित किया है। जो कि अपीलाण्ट के पत्रावली पर मौजूद जबाब से स्पष्ट है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तरीके से पूर्ण प्रकिया अपनाकर अवरुद्ध रास्ते को बाद मौका रिपोर्ट तलब कर व राजस्व रेकर्ड की जाँच कर खुलवाया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा मानस बनाकर पारित नहीं किया है।

प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने अपील के आधार पद संख्या–04 में यह निवेदन किया है कि ''माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जगदीश बनाम राजस्थान सरकार में प्रतिपादित सिद्धान्त जो परिपत्र संख्या एफ 5(21) रिवि./जी आर 4/80/34 दिनांक 04/09/1982 में प्रतिपादित सिंद्धान्त है की ग्राम पंचायत की 45 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया जायेगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय इस प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा तहसीलदार का आदेश बिना क्षेत्राधिकार का होने से काबिल खारिज है।'' साथ ही अपने आधार पद संख्या–03 में यह निवेदन किया है कि तहसीलदार जोधपुर का दायित्व था कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत को मामला प्रेषित किया जाना था ,ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी 45 दिन की अवधि के भीतर इस मामले को निस्तारित किये जाने का प्रावधान था और यह अवधि निकल जाने के उपरान्त ही उपरोक्त प्रकरण को तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कानुनी प्रकिया का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राजस्थान सरकार द्वारा Notification no.F.3(2)Rev.VI/2003 /pt./18,S.O.122 dt.6.07.2009 के द्वारा Notification No.F.5(21)Rev./GR.IV/80/34 dt. 04.09.1982 को Rescinds कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन Published in Raj Gaz.Ex.Ordi.4 (GS)(II)Dated 14.07.2009 में पेज 151 पर प्रकाशित है। दिनांक 14–07–2009 के पश्चात ग्राम पंचायत को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियॉ प्रदत्त नहीं है। जिस प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या–02 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय के समक्ष गजट नोटिफिकेशन की प्रति तथा साथ ही माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर का न्यायिक दृष्टान्त पेश किये

1. मोहनराम बनाम ज्ञानाराम
   2018(1)RRTpage118

2- Rajasthan High Court Jodhpur **Hari Ram And Anr vs State Of Rajasthan And Ors on 2 July, 2018**

उपरोक्तानुसार जब नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.1982 अस्तित्व में ही नहीं है। तो अपीलाण्ट का उक्त उज्र वर्तमान में उठाने का अधिकार ही नहीं है। अपीलाण्ट का उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है।

प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलाण्ट ने अपने अपील आधार संख्या–05 में वर्णित किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद दोनों पक्षों के खातेदारी को लेकर है। नेमीचन्द के पिता का नाम बिना किसी वैध आदेश के राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 36 के जरिये प्रविष्ठि कर दी थी। जिसको निरस्त करने एवम खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने जाने की अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना की गई है। जो मामला अभी विचाराधीन है। इसलिये कदीमी रास्ता नहीं होते हुए कदीमी रास्ते का मनगढन्त तथ्य अंकित कर तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है और तहसीलदार द्वारा बिना कोई साक्ष्य ग्वाह लिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के कथन किये है। माननीय माननीय से निवेदन है कि सर्वप्रथम तो जो वाद पेश किया है केवल मात्र वाद पेश करने से किसी प्रकार से पुराने कदीमी रास्ते को बिना किसी अधिकार के बंद नहीं किया जा सकता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट व रेकर्ड तलब किया गया उसमें मौके पर रास्ते होने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। जिसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। मौके पर रास्ते होने की रिपोर्ट पेश की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया जाये तो अपीलाण्ट ने कहीं पर ऐसा कोई उज्र नहीं उठाया कि अपीलाण्ट की साक्ष्य ली जाये अथवा अपीलाण्ट को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 18.01.2018 से 16.05.2018 तक लम्बित रहा। अपीलाण्ट ने प्रकरण में जबाब भी पेश किया लेकिन जबाब में कहीं पर भी साक्ष्य लिये जाने हेतु कोई कथन नहीं किया है। अपीलाण्ट चाहता तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करने हेतु निवेदन कर सकता था लेकिन अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन नहीं किया। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरसरी जाँच के पश्चात ही बाधा को हटाये जाने का अथवा बंद किये जाने और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपयोग करने की आज्ञा करने का प्रावधान है चाहे उक्तरुपेण पुनःउपयोग किये जाने के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाये। केवल मात्र वाद विचाराधीन होने से अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या–02 को रास्ते के उपयोग व उपभोग से वंचित नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या–02 की ओर से समक्ष निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

1. राजस्थान उच्च न्यायालय– कल्याण व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान दिनांक 15–05–1984 पैरा नम्बर 08
2. राजस्थान उच्च न्यायालय– धन्नसिंह राजपूत बनाम रामावतार जाट व अन्य दिनांक 13–07–2018 पैरा नम्बर 4 व 5

प्रत्यर्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी मौका रिपोर्ट मय राजस्व रेकर्ड दिनांक 13.10.2017 को ही पेश कर दी थी जिस पर प्राप्ति के बतौर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के हस्ताक्षर है। प्रकरण दिनांक 18.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अग्रिम कार्यावाही हेतु एल आर शाखा को दिनांक 23.01.2018 को प्राप्त हुआ है। जो रेकर्ड से स्पष्ट है। जिसमें किसी प्रकार की प्रकियात्मक त्रुटि नहीं हुई है। अपीलाण्ट के जबाब दिनांक 20.11.2017 के जबाब में कहीं पर भी बयान लिये जाने का नहीं लिखा है न ही बयान लिये जाने का कोई प्रावधान है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील आधारहीन, सारहीन व कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी अभिभाषक ने बतलाया कि तहसीलदार के समक्ष जवाब पेश करने पर तहसीलदार कार्यालय से बतलाया कि यह मामला ग्राम पंचायत कुड़ी को निस्तारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। अपीलान्ट ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण प्राप्त होने के सन्दर्भ में सम्पर्क करता रहा फिर एकाएक ही भू–अभिलेख निरीक्षक फतेहसिंह ने अपीलान्ट को फोन करके कहा कि तुम्हारे खिलाफ आदेश हो गया है तो अपीलान्ट ने दिनांक 27.06.2018 को नकल प्राप्त की तो पता चला कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है इससे पूर्व अपीलान्ट को किसी भी सूत्रों से अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रत्यर्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब मे कथन किया कि अपीलाण्ट के कथनोंनुसार अपीलाण्ट को प्रकरण के निर्णय व प्रकिया की जानकारी थी लेकिन अपीलाण्ट ने जानबुझकर अपील देरीना पेश की है। अपीलाण्ट ने देरीना अपील पेश करने का कारण जो बताया है वे स्वीकार करने योग्य नहीं है जो अपील म्याद बाहर होने से केवल इसी आधार पर ही खारिज करने योग्य है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है यह तथ्य निर्विवादित है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा नेमीचन्द ने तहसीलदार जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र इस इस आशय का प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र मूल ही दिनांक 09.10.2017 को पटवारी सांगरिया को प्रेषित कर दिया गया। तहसीलदार जोधपुर ने नोटिस क्रमांक 6078 दिनांक 14.11.2017 को अपीलान्ट/अप्रार्थी को प्रेषित किया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में मौका फर्द दिनांक 13.10.2017 से स्पष्ट है कि खसरा नं0 176 के आगे चिपता खसरा नं0 178/363 आता है जो सज्जनी बेवा सुखराम [illegible] के नाम दर्ज है। पूर्व में खसरा नं0 176 में से 178/363 के खातेदारों का आना–जाना था। खसरा नं0 176 में कटाणी रास्ता नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 02 के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:47:23 IST
Reason: SelfAttested

नं0 178/363 में जाने के लिये पूर्व में भी खसरा नं0 176 में से आना–जाना था। अपीलार्थी अभिभाषक का मुख्य कथन है कि ''माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जगदीश बनाम राजस्थान सरकार में प्रतिपादित सिद्धान्त जो परिपत्र संख्या एफ 5(21) रिवि./जी आर 4/80/34 दिनांक 04/09/1982 में प्रतिपादित सिंद्धान्त है की ग्राम पंचायत की 45 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया जायेगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय इस प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा तहसीलदार का आदेश बिना क्षेत्राधिकार का होने से काबिल खारिज है। '' इसके विरोध में प्रत्यर्थी संख्या 02 के अभिभाषक ने बतलाया कि राजस्थान सरकार द्वारा Notification no.F.3(2)Rev.VI/2003 /pt./18,S.O.122 dt.6.07.2009 के द्वारा Notification No.F.5(21)Rev./ GR.IV/80/34 dt. 04.09.1982 को Rescind कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन Published पद Raj Gaz.Ex.Ordi.4 (GA)(II)Dated 14.07.2009 में पेज 151 पर प्रकाशित है। दिनांक 14.07.2009 के पश्चात ग्राम पंचायत को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियाँ प्रदत्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी को विधिवत् नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश करने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी अभिभाषक ने बतलाया कि पक्षकारों के मध्य उक्त खसरों को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है इसीलिए पक्षकारों को हिदायत है सभी प्रकार के आक्षेप व बिन्दु राजस्व न्यायालय में विचाराधीन नियमित वाद में प्रकट कर सकते है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested